(12)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.5(3)नविवि/3/99/पार्ट   जयपुर, दिनांक: 6/7/02

आदेश

राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 जो दिनांक 17.6.99 से प्रभावशील है के द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन कर धारा 90 बी का समावेश किया गया है उक्त प्रावधान के द्वारा दिनांक 17.6.99 के पूर्व किये गये कृषि से गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के परिणामस्वरूप भूमि राज्य सरकार को समर्पित कर उसके नियमन करने का प्रावधान है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(बी) में अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमियों के विधियां अधिनियम, 1999 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सम्बन्धित प्रावधानों को ओवरराइड कर दिया गया है एवं इस संबंध में विभाग के आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 1999 के द्वारा स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। अतः राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रभावशील होने से पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमियों के गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को किये गये अकृषि प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण के मामलों में विभाग के आदेश दिनांक 4. दिसम्बर, 1999 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं, तदनुसार कार्यवाही की जावे।

आज्ञा से

ह०

(एच. एल. भारद्वाज)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक: भूमि/एफ. 7/प/डीएलबी/02/10313-10501   दिनांक: 29/7/02

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर।-
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।

K-P-T-O

अतिरिक्त निदेशक

(35)